

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-275/21 985 /पटना, दिनांक- 22/10/21
प्रेषक,

संजय दूबे, भा10प्र0सो
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय :-मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [विश्व बैंक सम्पोषित], विपत्र कोड संख्या-37-4515001030518, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।


प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-109/2016-2301 /पटना, दिनांक-25.09.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत [विश्व बैंक सम्पोषित] वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल-314 (तीन सौ चौदह) अदद पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रासंगिक पत्र के क्रमांक-282 पर उल्लेखित पथ के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत [विश्व बैंक सम्पोषित] अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल-01 (एक) अदद पथ योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

| Sl No. | District | Division | Block | Name of Road | Priority no of core network | Length (In km) | Total Population Served | Original Administrative Amount (In Lakhs) | Revised Administrative Amount (In Lakhs) |
|--------|----------|----------|-----------|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Saran | Sonpur | Dariyapur | Dighwara Bheldi Road Se Phursatpur Rural Road | 12 | 1.964 | 865 | 156.37 | 200.800 |
| Total | | | | | | 1.964 | | | 200.800 |

2. माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-


19/10/2021

- i. इन योजनाओं को 2 (दो) वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2021-22 एवं 2022-23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
 - ii. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - iii. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
 - iv. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
 - v. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व डी0पी0आर0 के साथ Social and Environment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं PIU स्तर पर नामित ESMP नोडल पदाधिकारी की होगी।
 - vi. इस योजना के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
 4. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों के योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
 5. इन योजनाओं की निविदा कार्य, ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर से विश्व बैंक के मानक निविदा अभिलेख के आधार पर करायी जायेगी।
 6. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँचफल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
 7. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं विश्व बैंक से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
 8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), जिसका विपत्र कोड-37-4515001030518 है, विश्व बैंक सम्पोषित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
 10. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [विश्व बैंक सम्पोषित], के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
 11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-(W.B)-275/2021 के पृष्ठ-05/टि0 पर प्राप्त है।

12. वित्त विभाग की संकल्प सं०-4-45/94-301 वि०(2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक-स्कीम(8)-11-2005-5090 वि०(2), दिनांक-15.09.2005, पत्रांक-295, दिनांक-24.03.2015 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं०-96, दिनांक-03.01.2008 एवं वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। साथ ही बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
17. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या- एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-275/2021 के पृष्ठ-05/टि० पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-275/2021 के पृष्ठ संख्या/टि० पर दिनांक 5.10.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-275/21 985 /पटना, दिनांक- 22/10/21

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

Om